प्रेस नोट 01- दिनांक 21.06.2024
थाना गंगाघाट,जनपद उन्नाव।

संपत्ति व रूपये हड़पने वाला शातिर जालसाज गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा जालसाजी कर लोगों की संपत्ति व रुपये हड़पने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.02.2024 को अर्जुन तिवारी वयस्क पुत्र स्व0 राममूरत तिवारी निवासी- 239, मानस विहार, तिवारीपुर द्वितीय जाजमऊ थाना- चकेरी कानपुर नगर नें थाना गंगाघाट पर आकर लिखित तहरीर दिया कि वह भूतपूर्व वायु सैनिक अधिकारी है। विगत करीब 03 वर्ष पूर्व प्रार्थी के मिलने वाले मनोज कुमार मिश्रा निवासी -78 कैलाश नगर जाजमऊ कानपुर नगर ने प्रार्थी को गंगाधर दुबे पुत्र विष्णुधर दुबे निवासी- बी-2, 207 रायबरेली रोड, आवास विकास, सेक्टर-6 आकाश- इन्क्लेब, लखनऊ जिसका वर्तमान आफिस- 284 रामपुरम्, श्यामनगर, कानपुर नगर एवं दूसरा आफिस तथा कथित जमीन के पास हरिहरपुर गाँव मे है , जिसका मोबाईल नं0 8840950240 से मिलवाया। उक्त गंगाधर दुबे ने प्रार्थी को बताया कि वह प्रापर्टी का काम करता है व उसकी मारुति इस्टेट नाम की कम्पनी है जिसका वह प्रोपाइटर है और उसकी प्लाटिंग हरिहरपुर एहतमाली व हरिहरपुर गैर एहतमाली मे चल रही है और लगातार प्रार्थी से सम्पर्क मे रहा उसने अपनी प्लाटिंग का नक्शा भी दिखाया। प्रार्थी ने नक्शा देखने के बाद प्लाट नं0 29 व 30 कुल रकवा 185.87 वर्गमीटर ग्राम हरिहरपुर गैर एहतमाली पर0 सि0 सरोसी तह0 व जिला उन्नाव थाना गंगाघाट को पंसद किया और उसका सौदा मु0 6,00,000/- रुपया (रु0 छः लाख मात्र) मे तय हो गया और दिनांक 01.03.2021 ई0 को उसकी रजिस्ट्री सब कार्यालय उन्नाव में कुल प्रतिफल अदा करते हुये सम्पन्न हो गयी उसके पश्चात उक्त गंगाधर

दुबे ने उसका दाखिल खारिज भी करवा दिया। दाखिल खारिज होने के पश्चात प्रार्थी का विश्वास उक्त गंगाधर दुबे पर और ज्यादा हो गया । उक्त गंगाधर दुबे ने प्रार्थी को दूसरा प्लाट जिसकी प्लाटिंग का नक्शा भी दिखाया। भूमि नं0 49म कुल रकबा 250 वर्गमीटर ग्राम हरिहरपुर गैर एहतमाली पर0 सि0 सरोसी तह0 व जिला उन्नाव थाना गंगाघाट दिखाया जिसे प्रार्थी ने अन्धा विश्वास करते हुये रजिस्ट्री दिनांक 24.04.2022 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय उन्नाव मे मु0 15,00,000/- रुपया (रु0 पन्द्रह लाख मात्र) अदा करते हुये करा ली । चूँकि प्रार्थी ने उक्त गंगाधर दुबे से दो प्लाट का सौदा कुल रकबा 600 वर्गगज का किया था जिसकी आधी रजिस्ट्री प्रार्थी ने अपने नाम से तथा आधी से कुछ अधिक रकबा की रजिस्ट्री अपनी पुत्री श्रीमती प्रियंका तिवारी पत्नी श्री अजय शुक्ला निवासिनी 705 रतन स्तुति अपार्टमेंट शास्त्री नगर कानपुर नगर थाना काकादेव के नाम उनसे प्रतिफल मु0 15,00,000/- (पंन्द्रह लाख रुपये) अदा कराते हुये करा दी थी इसके पश्चात उक्त गंगाधर दुबे ने दाखिल खारिज कराने के बहाने से प्रार्थी से दि0 24.04.2022 री असल रजिस्ट्री ले ली थी जब प्रार्थी ने बैनामा मांगा तो आज कल करके टालता रहा और आज दिनांक तक असल बैनामा वापस नहीं किया। असल बैनामे की प्रमाणित प्रति प्रार्थी ने रजिस्ट्रार कार्यालय से निकलवायी। उक्त गंगाधर दुबे द्वारा असल बैनामा वापस न करने पर प्रार्थी को शक हुआ तो प्रार्थी ने खरीदे गये प्लाटों मे बाउन्ड्री कराने का निश्चय किया तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि पहली रजिस्ट्री जो कि प्लाट नं0 29 व 30 की गयी थी उसके आगे के कुछ रकबे का गंगाधर दुबे मालिक था और पीछे के हिस्से का मालिक कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके रकबे की रजिस्ट्री चौहद्दी के अनुसार गंगाधर दुबे ने करके प्रार्थी के साथ 420 की है एवं इसी प्रकार दूसरे प्लाट की रजिस्ट्री भी गंगाधर दुबे ने उक्त जमीन का कोई भी अंश का मालिक न होते हुये भी कर दी है । उक्त रकबा चौहद्दी के हिसाब से मौके पर है ही नही एंव मेरी पुत्री श्रीमती प्रियंका तिवारी को भी जो रजिस्ट्री गंगाधर दुबे ने की है वह जमीन भी मौके पर नही है इस प्रकार उक्त गंगाधर दुबे ने मेरी पुत्री प्रियंका तिवारी से भी 15,00,000/- रुपये 420 करते हुए हडप लिए है एवं मेरी पुत्री से अन्य प्लाट दिखा कर 5,00,000/- पांच लाख रुपये जरिये चेक हड़प लिए है । इस प्रकार उक्त गंगाधर दुबे ने तीनो रजिस्ट्री साजिशन गलत व फर्जी तरीके से प्रार्थी व उसकी पुत्री के हक मे करके कुल 41,00,000/- इकतालीस लाख रुपये हडप कर लिये है । प्रार्थी द्वारा उक्त गंगाधर दुबे से यह कहने पर की या तो उसे साफ सुथरी जमीन दो या उसके रुपए वापस करो तब गंगाधर दुबे भद्दी- भद्दी गालियां देता है और जान से मार देने की धमकी भी देता है प्रार्थी वायु सेना से रिटार्यड वरिष्ट नागरिक है । इस प्रकार गंगाधर दुबे द्वारा उसका व उसकी पुत्री का कुल कुल 41, 00, 000/- इकतालीस लाख रुपये हड़प कर लेने से व फर्जी

जमीन की रजिस्ट्री कर देने से प्रार्थी को गहरा आघात लगा है व प्रार्थी को अपूर्ण क्षति पहुंची है। मुकदमा वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्समय मु0अ0सं0 62/2024 धारा 420/406/467/468/471/504/506 भादवि बनाम गंगाधर दुबे उपरोक्त पंजीकृत होकर विवेचना सम्पादित की गई। विवेचना से धोखाधडी के तथ्य सामने आने पर आज दिनांक 21.6.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गंगाधर दुबे पुत्र विष्णुधर दुबे निवासी- पूर्व किरायेदार बी-2, 207 रायबरेली रोड, आवास विकास सेक्टर-6 आकाश- इन्क्लेब थाना विकास नगर जनपद लखनऊ हाल पता थाना पीजीआई क्षेत्र के कान्हा नगर कालोनी निकट पानी की टंकी जगत खेडा कल्ली पश्चिम लखनऊ मूल निवासी ग्राम महराजगंज (गजापुरवा) थाना हरैया जनपद बस्ती को जाजमऊ पुल के पास हाइवे के किनारे से गिरफ्तार किया गया।

नाम व पता अभियुक्त-

1.गंगाधर दुबे पुत्र विष्णुधर दुबे निवासी- पूर्व किरायेदार बी-2, 207 रायबरेली रोड, आवास विकास सेक्टर-6 आकाश- इन्क्लेब थाना विकास नगर जनपद लखनऊ हाल पता थाना पीजीआई क्षेत्र के कान्हा नगर कालोनी निकट पानी की टंकी जगत खेडा कल्ली पश्चिम लखनऊ मूल निवासी ग्राम महराजगंज (गजापुरवा) थाना हरैया जनपद बस्ती

आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 86/2023 धारा 406 भादवि थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव
2.मु0अ0सं0 960/2018 धारा 406/420/506 भादवि थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
3.मु0अ0सं0 87/2018 धारा 406/420 भादवि थाना हरवंश मोहल जनपद कानपुर नगर
4.मु0अ0सं0 172/2023 धारा 406/420 भादवि बाबूपुरवा थाना कानपुर नगर
5.मु0अ0सं0 62/2024 धारा 420/406/467/468/471/504/506 भादवि थाना गंगाघाट, उन्नाव

गिरफ्तारी मे शामिल पुलिस टीम-

1.निरीक्षक श्री रामप्रकाश
2.का0 रोहित कुमार

प्रेस नोट 02- दिनांक 21.06.2024
थाना बीघापुर,जनपद उन्नाव।

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 21.06.2024 को थानाध्यक्ष श्री राजपाल मय हमराह फोर्स द्वारा थाना अचलंगज मे पंजीकृत मु0अ0सं0 125/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त मनीष साहू उर्फ छोटू पुत्र रामप्रकाश उर्फ सन्तोष साहू निवासी ग्राम केवाना थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष को अभियुक्त के घर ग्राम केवाना थाना अजगैन जनपद उन्नाव से गिरफ्तार किया गया।

नाम व पता अभियुक्त-

1. मनीष साहू उर्फ छोटू पुत्र रामप्रकाश उर्फ सन्तोष साहू निवासी ग्राम केवाना थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1.मु0अ0सं0 31/24 धारा 394/411/120B IPC थाना अचलगंज
2.मु0अ0सं0 22/23 धारा 143/147/148/323/325/504/506 IPC थाना अजगैन
3.मु0अ0सं0 257/21 धारा 323/325/504/506 IPC थाना अजगैन
4.मु0अ0सं0 125/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अचलगंज

गिरफ्तारी मे शामिल पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष श्री राजपाल
2.का0 संजय यादव